

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर, (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक / ...20... / दो-12-01 / 05 / लेखा.

श्योपुर, दिनांक : 11 / 04 / 2024

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-03 / 19 / 01 / 04 भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2024 के अनुसार मध्यप्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मध्यप्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत तृतीय चरण में दिनांक 07 मई, 2024 (मंगलवार) को संसदीय क्षेत्र मुरैना (श्योपुर) में आम निर्वाचन होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के परिपत्र क्रमांक डी/488 जबलपुर दिनांक 22.01.2015 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर.के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर दिनांक 07 मई, 2024 (मंगलवार) को जिला मुख्यालय श्योपुर एवं तहसील मुख्यालय विजयपुर में सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश दिवस घोषित करता हूँ।

— sd / —

(आर.के. गुप्त)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर, (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक... 9... / दो-12-01 / 05 / लेखा.
प्रतिलिपि:-

श्योपुर, दिनांक : 11 / 04 / 2024

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर
02. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर
03. न्यायालय श्योपुर / विजयपुर
04. प्रभारी अधिकारी नजारत / लेखानुभाग / मालखाना / अभिलेखागार / सॉख्यिकीय / ग्रंथालय / प्रतिलिपि / कम्प्यूटर / ई-फाईलिंग व तलवाना अनुभाग, श्योपुर / विजयपुर
05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर
06. कलेक्टर, जिला श्योपुर
07. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर
08. जेल अधीक्षक, जिला श्योपुर
09. अध्यक्ष / सचिव, अभिभाषक संघ श्योपुर / विजयपुर
10. जिला लोक अभियोजन अधिकारी / सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, श्योपुर / विजयपुर
11. लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक / विशेष लोक अभियोजक, श्योपुर / विजयपुर
12. लेखापाल, कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर
13. प्रस्तुतकार, न्यायालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, श्योपुर की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(Rm) 11.4.24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर (म0प्र0)